भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *117

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय दंत आयोग

***117. श्री ए.राजा:**

श्री ए.गणेशमूर्ति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) भारतीय दंत परिषद को राष्ट्रीय दंत आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बावजूद भारतीय दंत परिषद द्वारा शक्तियों का उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय दंत परिषद के पदाधिकारियों और इसके अध्यक्ष पर दंत चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता दिए जाने और आवधिक निरीक्षण आदि के नाम पर भ्रष्टाचार करने के आरोपों की शीघ्र जांच किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) राष्ट्रीय दंत आयोग के कार्यकरण और इसके कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09 फरवरी, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *117 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) से (घ): राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2023 को दिनांक 11अगस्त, 2023 को अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करना, गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना, उच्च गुणवत्तापूर्ण मौखिक स्वास्थ्य परिचर्या और संबंधित सुविधाओं को सुलभ बनाना है। दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 का निरसन राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2023 की धारा 58 (1) के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के परिणामस्वरूप हुआ है।

केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) के अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करती है।

अधिनियम की धारा 6(1), 6(6), 7(1), 41(1), 52(1) सहित अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का उद्देश्य राष्ट्रीय दंत आयोग के कार्यकरण में पारदर्शिता लाना है।

*****